जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	कृषि विभाग द्वारा किसानो की उत्तम किस्म के बीजो का समय से वितरण तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्रोपर बीज उत्पादित कर कृषको को वितरण किया जाना है कृषको को उत्पादन बढाने हेतु कृषको को तकनीकि जानकारी दी जाती है कृषको को समय से कृषि निवेश उपलब्धता हेतु फसली ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित किया जाता है फसलों में लगने वाले रोग कीटो आदि की रोकथाम के लिए कृषको को समय रहते निःशुल्क सलाह तथा खेत पर पहुच कर निरीक्षण कर कृषको को उसकी पूर्ण जानकारी दी जाती है। जनपद में जिला कृषि अधिकारी अपने अधीनस्थ अपर जिला कृषि अधिकारी, कपास विकास निरीक्षक, तिलहन विकास निरीक्षक प्रभारी राजकीय कृषि निवेश भण्डार के माध्यम से कृषकों को तकनीकी ज्ञान उन्नत किस्म के आधारीय, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि सुविधाए कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है और राज्य सरकारी के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न कराते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रमशः निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। जि0कृ0अ0, अ0जि0कृ0अ0, ति0वि0नि0, क0वि0नि0 स0वि0अ0 (कृषि) विकास खण्ड स्तर पर, कार्यालय सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन निशेक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है कार्यालय विकास भवन, बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	उ0कृ0नि0 नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण में रहकर सभी विभागगीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था द्वारा जि0कृ0अ0, अ0जि0कृ0अ0, प्रक्षेत्र अधीक्षक, ति0वि0नि0, क0वि0नि0, स0वि0अ0(कृ0) विकास खण्ड स्तर पर कार्यालय सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए, अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन हेतु होने वाले व्यय के लिए जिला योजना से आवश्यकता अनुसार धनराशि की मांग की जाती है जो जिला येाजना समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुमोदन के आधार पर हेाती है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक मे शासन की मांग के अनुरूप समस्त योजनाओं के संदर्भ में जन प्रतिनिधियों की राय, सुझाव लिये जाते है। तदानुसार कृषि विभाग के कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस सस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशो का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक, सप्ताहिक, आकड़े उप कृषि निदेशक, बिजनौर के माध्यम से स0कृ0नि0 मुरादाबाद मण्डल एवं कृषि निदेशक उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस संस्था का वजट जिला योजना (नियोजन अनुभाग) राज्य योजना एवं कृषि निदेशक (बजट अनुसार) उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ, निदेशक पंचायत उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करने सम्बन्धित अधिकारियों के प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	रबी, खरीफ, एवं जनपद गोष्ठी के आयोजन एवं किसानो को वितरण किये गये प्रमाणित बीजों के अनुदान समायोजन हेतु बजट उ0कृ0नि0 बिजनौर को उपलब्ध होता है। जिसका नियमानुसार व्यय हेतु अनुदान बिल/गोष्टियों पर हुए व्यय के बिल/बाउचर उप कृ0नि0 बिजनौर को भेजे जाते है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन के निर्देशानुसार कृषको का बीज मिनिकिट प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रमाणित बीज वितरण का कार्य कराया जाता है।

14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	संस्था द्वारा समस्त सूचनाऐ उच्चाधिकारियों की संकलित कर भेजी जाती है आवश्यकतानुसार राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीजो की नीलामी की सूचना समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री शिव कुमार, जि0कृ0अ0 बिजनौर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी श्री हरि सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी / तिलहन विकास निरीक्षक

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।